

पटना के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 291

2021 की थाना कांड संख्या-183 थाना- भगवानपुर जिला- बेगुसराय से उत्पन्न

=====

अंगुरी प्रवीण, आयु लगभग- वर्ष, लिंग- महिला, पिता- मोहम्मद कौशर, निवासी- गाँव- छतरी तोला, वार्ड संख्या- 13, पुलिस थाना- भगवानपुर, (तियाय ओ.पी.), जिला- बेगुसराय।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मो. सलाउद्दीन उर्फ छतू, उम्र लगभग 20 वर्ष (पुरुष), पुत्र- मोहम्मद आलिम, निवासी- गाँव- चत्री टोटल, पुलिस थाना- भगवानपुर, जिला-बेगुसराय।

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री ब्रज भूषण पोद्दार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के लिए: श्री अजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री बिनोद बिहारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक।

=====

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 378 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 376 --- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो अधिनियम) --- धारा 6 --- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 --- धारा 94 --- पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत पीड़िता की नाबालिगता स्थापित करने में विफलता का प्रभाव --- अभियुक्त/प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप यह था कि उसने विवाह का झूठा वादा करके अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध स्थापित किए तथा उसके बाद धमकी दी कि यदि उसने किसी को उसके कुकृत्य के बारे में बताया तो वह उसे पानी में फेंक देगा तथा जान से

मार देगा --- निष्कर्ष: पीड़िता की आयु संदिग्ध है, क्योंकि पीड़िता की आयु का कोई ठोस प्रमाण नहीं है --- पीड़िता की आयु सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नहीं थे --- मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसने पीड़िता की आयु 17-18 वर्ष के बीच निर्धारित की है, अतः पीड़िता के नाबालिग होने का दावा गलत है अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि घटना स्थल और पीड़िता की आयु के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में पर्याप्त असंगतताएं हैं--- पक्षकारों के बीच दुश्मनी थी, जिससे कथित अपराध के किए जाने पर काफी संदेह उत्पन्न होता है--- विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं की है--- विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है---अपील खारिज की जाती है। (पैरा 18, 20, 23, 32, 33)

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील---सिद्धांत--- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सिद्धांत, दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के मामले में लागू किए जाने वाले सिद्धांतों से बहुत भिन्न होते हैं---न्यायालय को न केवल विधि और तथ्य के प्रश्नों की उनके सभी पहलुओं में जांच करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों की भी बारीकी से और सावधानी से जांच करनी चाहिए, जिनके कारण निचली अदालतों ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया और उसे केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, जब ऐसी जांच के बाद उसे यह विश्वास हो जाए कि निचली अदालत द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जो अनुचित है--- दोषमुक्ति के मामले में, उसकी निर्दोषता की धारणा को परीक्षण न्यायालय द्वारा पुष्ट और सुदृढ़ किया जाता है और यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। (पैरा 26-28)

2023 आईएनएससी 626, 2024 आईएनएससी 816, एआईआर 2014 एससी 932, 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 40, (2007) 4 एससीसी 415, (2012) 10 एससीसी 383, (2023) 9 एससीसी 581, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 561पर भरोसा किया गया।

2009 सीआर जे. 2888 (गुजरात)

.....से सहमत।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

तारीख: 27-01-2025

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रज भूषण पोद्दार, सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिन्हा तथा राज्य की ओर से विद्वान एपीपी श्री बिनोद बिहारी सिंह को सुना गया।

2. यह अपील विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI, बेगूसराय (जिसे इसके बाद 'विद्वत विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा भगवानपुर (तेयाय) पीएस केस संख्या 183/2021 से उत्पन्न पोक्सो केस संख्या 58/2021 में पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांक 20.01.2024 (इसके बाद 'विवादित निर्णय' के रूप में संदर्भित) के निर्णय से उत्पन्न हुई है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आक्षेपित निर्णय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (इसके बाद 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 6 (इसके बाद 'पोक्सो अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है।

अभियोजन का मामला

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी/प्रतिवादी जो सूचना देने वाले/पीड़िता/अपीलार्थी का सह-ग्रामीण है, ने उसे लुभाया और उसकी इच्छा के खिलाफ उसके

साथ यौन संबंध स्थापित किए। पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद, पीड़िता ने आरोपी/प्रतिवादी को *निकाह* करने के लिए राजी किया, लेकिन आरोपी/प्रतिवादी *निकाह* करने के लिए तैयार नहीं था। नियत समय में, पीड़िता छह महीने पंद्रह दिनों की गर्भवती हो गई और आगे कहा कि 09.08.2021 पर पीड़िता अपने घर में सो रही थी जब आरोपी आया और पीड़िता को उसके साथ यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से उसके घर से दूर ले जा रहा था। पीड़िता ने जोर से चिल्लाया और हंगामा सुनकर आसपास के लोग आए और उसे बचा लिया। अभियुक्त/प्रतिवादी के माता-पिता भी अभियुक्त/प्रतिवादी का समर्थन कर रहे थे। एक पंचायत का आयोजन किया गया और पंचों ने आरोपी/प्रतिवादी को *निकाह* करने के लिए कहा, लेकिन अभियुक्तों ने पंचों के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया।

4. अभियोजन पक्ष के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत भगवानपुर (तेयई) पुलिस थाना मामला संख्या -183 /2021 दिनांक 09.09.21 को दर्ज किया। जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप पत्र संख्या- 16 / 2022 सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अभियुक्त/प्रतिवादी सं. 2, अर्थात्, सलाउद्दीन उर्फ छोटू पर एक आरोप पत्र दिनांक 18.01.2022 को दाखिल किया गया था। दिनांक 02.02.2022 को संज्ञान लिया गया था। अभियुक्त को आरोपों के बारे में समझाया गया जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

अभियोजन पक्ष के गवाहों का विश्लेषण:

5. अभियोजन पक्ष की ओर से, कुल मिलाकर दस गवाहों से पूछताछ की गई और मुकदमे के दौरान कई दस्तावेजों का प्रदर्शन किया गया और बचाव पक्ष ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए दो गवाहों को भी पेश किया और कई दस्तावेजों का प्रदर्शन किया। अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया है जिसमें उसने आरोप से इनकार किया है और बेगुनाही का बचाव किया है और आगे कहा है: “उसके

पिता को 2004 में इंद्रवास में एक घर मिला और देवशरण ने अपना घर बेच दिया। देवशरण के दो बेटे कार चलाते हैं और लड़की के पिता भी उनके लिए काम करते हैं। देवशरण के दोनों बेटों ने मिलकर उसे इस मामले में फंसाया। ” अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ-साथ बचाव पक्ष के गवाहों की सूची तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज, जिन्हें नीचे सारणीबद्ध रूप में दर्शाया जा रहा है:

पीडब्लू-1	पीड़िता।
पीडब्लू-2	डॉ. अरुण कुमार
पीडब्लू-3	राज रंजन कुमारी (जांच अधिकारी)
पीडब्लू-4	डॉ. दिव्या गुप्ता (चिकित्सा अधिकारी)
पीडब्लू-5	रुक्साना खातून
पीडब्लू-6	डॉ. कामिनी राय (चिकित्सा अधिकारी)
पीडब्लू-7	मो. रहमत
पीडब्लू-8	साहना खातून उर्फ सानिया खातून
पीडब्लू-9	मो. कौशर (पीड़िता के पिता)
पीडब्लू-10	आशु कुमार झा (सहायक निदेशक एफ. एस. एल.)

अभियोजन द्वारा प्रदर्शनों की सूची

प्रदर्श पी1/पीडब्लू1	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान पर उसके हस्ताक्षर
प्रदर्श पी2/पीडब्लू2	मेडिकल रिपोर्ट पर डॉ. अरुण कुमार के हस्ताक्षर
प्रदर्श पी2/1/पीडब्लू-4	चिकित्सा विवरण पर डॉ. दिव्या गुप्ता के हस्ताक्षर
प्रदर्श पी2/2/पीडब्लू-6	चिकित्सा विवरण पर डॉ. कामिनी राय के हस्ताक्षर
प्रदर्श पी3/पीडब्लू-3	औपचारिक प्राथमिकी पर एस. एच. ओ. मनीष कुमार का लेखन और हस्ताक्षर
प्रदर्श पी4/पीडब्लू-3	2022 की आरोप-पत्र संख्या 16 दिनांक 18.01.2022
मार्क एक्स	डी. एन. ए. रिपोर्ट 2023 का एफ. एस. एल. सं. 603 दिनांक 30.08.2023

बचाव पक्ष के गवाहों की सूची

डी. डब्ल्यू-1	रिजवान मियां
डी. डब्ल्यू-2	एम. डी. आलिम

रक्षा द्वारा प्रदर्शनों की सूची

प्रदर्श डी1	एसडीओ तेघड़ा न्यायालय के केस संख्या 60 एम 2005 के आदेश पत्र की सी.सी.
प्रदर्श डी. 2	शिकायत मामला संख्या 1262/2005 में एस.ए. की सी.सी.
प्रदर्श डी2/1	शिकायत मामला संख्या 1262/2005 में ईडब्ल्यू-1 मोहम्मद आलम के बयान की सी.सी.
प्रदर्श डी2/2	शिकायत मामला संख्या 1262/2005 में ईडब्ल्यू-2 रियाजुल हक के बयान की सी.सी.
प्रदर्श डी2/3	शिकायत मामला संख्या 1262/2005 में ईडब्ल्यू-3 नसीम के बयान की सी.सी.
प्रदर्श डी2/4	शिकायत मामला संख्या 1262/2005 में ईडब्ल्यू-4 अब्दुल अजीज के बयान की सी.सी.
प्रदर्श डी3	सनहा संख्या 279/2005 दिनांक 17.06.2005 की कार्रवाई प्रति

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

6. विद्वत विचारणीय न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि चिकित्सा बोर्ड को यौन संभोग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन पीड़िता ने विशेष रूप से निरंतर और नियमित संभोग के बारे में बताया। इसके अलावा, विचारण न्यायालय ने आनुवांशिक परीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति पर पाया कि आरोपी/प्रतिवादी मोहम्मद सलाउद्दीन उर्फ छोटू बच्चे रामतल्ला उर्फ अब्दुल्ला का जैविक पिता नहीं है और उल्लेख किया कि पहले पीड़िता यह दावा कर रही थी कि बच्चे का पिता आरोपी/प्रतिवादी सल्लाउद्दीन उर्फ छोटू है। विद्वत विचारण न्यायालय ने **प्रेमजी भाई बच्चो भाई खशिया बनाम राज्य** मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर आगे चर्चा की, जो **2009 में सीआर. जे. 2888 (गुजरात)** में दर्ज किया गया था, जिसमें यह राय दी गई थी कि जहां सहायक साक्ष्य मौजूद हों, वहां डीएनए रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यह निश्चित रूप से उस साक्ष्य की ताकत और गुणवत्ता पर

निर्भर करता है। लेकिन अगर प्रतिवेदन सकारात्मक है, तो भी यह निर्णायक रूप से उपद्रवियों की पहचान तय नहीं कर सकता है, लेकिन अगर प्रतिवेदन नकारात्मक है, तो यह निर्णायक रूप से आरोपी को आरोप की संलिप्तता से मुक्त कर देगा। इन परिस्थितियों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती कांति देवी बनाम पोशी राम** मामले में **2001 (2) सीटीसी 625 (एससी): 2001 (5) एससीसी 311** में निर्धारित कानून के अनुपालन में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने माना कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि डीएनए रिपोर्ट आरोपी को आरोप से पूरी तरह मुक्त कर दे। विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष घटना के सही संस्करण के साथ आगे नहीं आया था। विद्वत विचारण न्यायालय की राय के अनुसार, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा और अभियुक्त बरी होने का हकदार था। तदनुसार, एकमात्र अभियुक्त/प्रतिवादी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुति

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहते हुए विवादित निर्णय पर हमला किया है कि निर्णय केवल अनुमानों और कयासों पर आधारित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के खिलाफ है। विद्वत विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना प्रतिवादी सं. 2 द्वारा की गई थी।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत विचारण न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि डी. एन. ए. रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई थी और आनुवंशिक परीक्षण प्रतिवेदन में अभियुक्त द्वारा हेरफेर किया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि सभी चिकित्सा गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़िता नाबालिग है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पीडब्लू-4 डॉ. दिव्या गुप्ता, जो मेडिकल बोर्ड की सदस्य

थी, ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-3 में कहा है कि दांतों की संख्या का निष्कर्ष पीड़िता की उम्र का निर्णायक निष्कर्ष नहीं है। विचारण न्यायालय ने राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक की इस दलील पर विचार नहीं किया कि डीएनए परीक्षण मशीन काम नहीं कर रही थी। एकमात्र अभियुक्त/प्रतिवादी को पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपों से बरी करने का विद्वत् निचली अदालत का फैसला बुरा है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी और राज्य की ओर से प्रस्तुति

9. प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा और राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बिनोद बिहारी सिंह ने अपील का विरोध किया है। राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि विवादित फैसले के मात्र अवलोकन से यह प्रतीत होगा कि पीड़िता की उम्र के निर्धारण के बिंदु पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर विचार किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत प्रतिवादी सं. 2 के बचाव में आएंगे। इस संबंध में एच.डी. सुंदरा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है, जो (2023) 9 एससीसी 581 (पैराग्राफ '8') में रिपोर्ट किया गया है।

10. प्रत्यर्थी सं. 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या -2 के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। डीडब्ल्यू-1 रिजवान मियां ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि डीडब्ल्यू-2 मोहम्मद अलीम, आरोपी के पिता और देवशरण के बीच 2004 से जमीन का विवाद चल रहा था। इससे संबंधित एक मामला लंबित था और वर्तमान मामला पीडब्ल्यू-1 द्वारा आरोपी/प्रतिवादी के खिलाफ झूठा दर्ज किया गया था क्योंकि देवशरण ने अपने माता-पिता से आरोपी/प्रतिवादी को झूठा फंसाने के लिए कहा था। अपीलार्थी के पिता पीडब्ल्यू-9 देवशरण के लिए काम करते थे। वह आगे प्रस्तुत करता है कि डी. डब्ल्यू-2 एम. डी.

आलम ने कहा है कि देवशरण के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे और वर्तमान मामला आरोपी/प्रतिवादी के खिलाफ झूठा दर्ज किया गया था।

11. उपर्युक्त प्रस्तुतियों के बल पर, अतिरिक्त लोक अभियोजक और प्रतिवादी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विचारणीय

12. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक को सुना है और साथ ही विचारण न्यायालय के अभिलेखों का भी अध्ययन किया है।

13. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ पर विचार करें, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करना आवश्यक होगा।

14. पीडब्लू-1 तत्काल मामले में पीड़िता, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसकी दादी अपने माता-पिता के घर से अलग रहती थी। उसने यह भी कहा कि वह घटना की तारीख को अपनी दादी के घर पर थी। उसने आगे कहा है कि उसने पुलिस को दी गई लिखित प्रतिवेदन /बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालाँकि, अपनी जिरह के पैरा-9 में उसने कहा कि उसने पुलिस को दिए गए बयान पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा उसने अपनी एफ़. आई. आर. में कहा कि 29.08.202 को पर आरोपी/प्रतिवादी ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसने जिरह के पैरा-10 में उसने कहा है कि उसे घटना की तारीख या घटना का समय याद नहीं है। उसने आगे कहा कि कथित घटना उसके घर पर हुई थी।

15. पीडब्लू-5 रुक्साना खातून पीड़िता की माँ है। अपनी मुख्य परीक्षा में उन्होंने कहा कि पीडब्लू-1 कक्षा-5 की छात्रा थी। पाँच महीने की अवधि के बाद, उसकी बेटी ने उसे सूचित किया कि वह गर्भवती है और छोटू उर्फ राजा बच्चे का पिता है। अपनी जिरह में, उसने कहा कि उसने

कथित घटना को नहीं देखा है। उन्होंने अपनी जिरह के पैरा-4 में यह भी कहा कि यह घटना अभियुक्त/प्रत्यर्थी के घर पर हुई थी। पीडब्लू-7 एक सुनी सुनाई सुनी-सुनाई बात का गवाह है। पीडब्लू-8 सहाना खातून उर्फ सानिया खातून पीड़िता की दादी हैं। अपनी जिरह में उसने कहा कि उसकी पोती घर पर उसकी आंखों के सामने रहती थी।

16. पीडब्लू-9 मो. कौशर पीड़िता के पिता हैं जिन्होंने अपने मुख्य जाँच में कहा कि आठ महीने की अवधि से आरोपी/प्रतिवादी पीड़िता को परेशान कर रहा था और कथित तौर पर उसके साथ गलत कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत पीडब्लू-5 द्वारा की गई थी। पीडब्लू-9 के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र 12 वर्ष थी।

17. पीडब्लू-3 राज रंजीनी कुमारी इस मामले में जांच अधिकारी हैं। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने कहा कि कथित अपराध की घटना का स्थान पीड़िता का घर था। उसने कहा कि आधार कार्ड के अलावा पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अपनी जिरह के पैरा 9 में, उसने कहा कि उसने पीड़िता के घर के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति का बयान नहीं लिया। पैरा-10 में आगे उन्होंने कहा कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। इसके अलावा, पीड़िता के कपड़े जांच के लिए उसके पास नहीं थे।

18. वर्तमान मामला अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एक लिखित आवेदन पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी/प्रतिवादी ने शादी करने के झूठे वादे पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए और उसके बाद उसे पानी में फेंक देने और अगर उसने किसी को भी अपने कुकर्म के बारे में बताया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। पीडब्लू-2, 4, 6 उस मेडिकल बोर्ड के सदस्य थे जिसका गठन सदर अस्पताल के अधीक्षक ने पीड़िता की जांच के लिए किया था। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट इस प्रकार है:-

हम मेडिकल बोर्ड के सदस्य ने 10-09-2021 को दोपहर 02:10 बजे सदर अस्पताल, बेगूसराय में पीड़िता की जांच की और उसके शरीर पर निम्नलिखित पाया

ऊँचाई:- 5'2"

वजन:- 46 किग्रा

माध्यमिक यौन पात्र:- विकसित

एच/ओ मेनार्चे:- 12 आयु के वर्ष।

एल. एम. पी.- 6 महीने का अमेनोरिया

एस.वी./एस. सलाउद्दीन

शादीशुदा:-

बच्चों का विवरण नं.:-

बाहरी खोज:- आगे और पीछे सहित शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई चोट नहीं है।

आंतरिक खोज:- जननांग और जांघों पर कोई वीर्य का दाग नहीं, जननांग पर कोई चोट नहीं, हाइमन फटा हुआ पुराना और ठीक हो गया, योनि स्वाब लिया गया और शुक्राणुओं की उपस्थिति के लिए पैथोलॉजी को भेजा गया।

एम. आई.-दाहिनी ओर काली तिल।

सुझाई गई जांच:- 1. एक्स-रे आरटी. कलाई-एपी दृश्य

2. एक्स-रे आर. टी. घुटने एपी दृश्य

3. एक्स-रे पेल्विस-एपी दृश्य

4. एक्स-रे मैडिबल्स लेटी और आरटी ओब्लिक

5. यूएसजी:- शुक्राणु की परीक्षा के लिए 25 सप्ताह के आकार (24-08-2021) के

परिवर्तनीय प्रदर्शन के साथ एक एकल जीवित भ्रूण:- शुक्राणु नहीं मिला।

दाँतों का विवरण:- 7654321/1234567

7654321/1234567

चिकित्सकीय रूप से मौजूद दाँतों की कुल संख्या-28

एक्स-रे खोज- पीड़िता का एक्स-रे सदर अस्पताल बेगुसराय में 10-09-2021, एक्स-रे प्लेट संख्या-6213/10-09-2021 पर किया गया था।

एक्स-रे दाहिने कलाई एपी दृश्य:- त्रिज्या और अल्ना के निचले छोर का एपिफिसिस जुड़ा हुआ है।

एक्स-रे दाहिने घुटने के जोड़ एपी दृश्य:- फीमर के निचले छोर और टिबिया और फाइबुला के ऊपरी छोर का एपिफिसिस जुड़ा हुआ है।

एक्स-रे श्रोणि एपी दृश्य:- इलियाक शिखर का एपिफिसिस आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है।

एक्स-रे अनिवार्य बाएँ और दाएँ पार्श्व तिरछा दृश्य:- उपर्युक्त रेडियोलॉजिकल और डेंटल निष्कर्षों के आधार पर अंतिम दाढ़ दांत जो अनिवार्य भाले के दोनों ओर मौजूद नहीं हैं, पीड़िता की आयु 17-18 वर्ष (सत्रह से अठारह वर्ष) है।

राय:- मरीज में हाल के यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन लेकिन उसका 26 सप्ताह की गर्भावस्था है।

19. पी. युवप्रकाश बनाम राज्य (2023 आई. एन. एस. सी. 626) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब भी किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, तो पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता होने के संदर्भ में, आरोपी को बरी करते समय अदालतों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 में बताए गए कदमों का सहारा लेना होगा। अदालत ने पैरा- 13 और 14 में इस प्रकार उल्लेख किया:

“13. उपर्युक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता होने के संदर्भ में किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर अदालतों को जेजे अधिनियम की धारा 94 में बताए गए कदमों का सहारा लेना पड़ता है। किशोर न्याय अधिनियम में जिन तीन

दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार करके आयु निर्धारित करनी होगी:

- (i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;
- (ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- (iii) और केवल (i) और (ii) से ऊपर की अनुपस्थिति में, आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित एक अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा।

14. जेजे अधिनियम की धारा 94 (2) (iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अभाव में निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और इसके बाद ही ऐसे दस्तावेजों के अभाव में आयु का निर्धारण संबंधित प्राधिकरण, यानी समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित "एक अस्थिकरण परीक्षण" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण" के माध्यम से किया जाना है। ”

20. वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि पीड़िता की उम्र संदिग्ध है। पीडब्लू-5 और पीडब्लू-8 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि अपीलार्थी कथित अपराध की घटना के समय लगभग 15 वर्ष का था। पीडब्लू-1, पीड़िता ने कहा है कि वह अपनी उम्र नहीं जानती है और पीडब्लू-9 ने कहा है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 12 वर्ष थी। लेकिन चिकित्सा बोर्ड द्वारा तैयार की गई चिकित्सा प्रतिवेदन (प्रदर्शनी पी2) के अनुसार। पीड़िता की आयु 17-18 वर्ष के बीच थी। पी. युवप्रकाश (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के आलोक में, क्योंकि

पीड़िता की उम्र ज्ञात नहीं थी, कार्रवाई का सही तरीका मैट्रिक प्रमाण पत्र या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर विचार करना होता। हालांकि पीडब्लू-3 के बयान के अनुसार जांच अधिकारी के पास पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नहीं थे। इस प्रकार, चूंकि मैट्रिक प्रमाण पत्र या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में पीड़िता की उम्र का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए चिकित्सा बोर्ड का प्रतिवेदन महत्वपूर्ण है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा कि पीड़िता नाबालिग है, स्थापित नहीं किया गया है।

21. सरोज बनाम इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 2024 आईएनएससी 816 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को स्वीकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया था। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

इस संबंध में, यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से एम.ई.आई.टी.वाई. द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2-0.12.2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "आधार संख्या का उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि वह प्रमाणित हो, इसलिए यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है" (प्रतिलिपि संलग्न)

*5. आधार अधिनियम, 2016 के इस पहलू को हाल के फैसलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दोहराया गया है/उजागर किया गया है/जोर दिया गया है। सबसे हाल ही में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **महाराष्ट्र राज्य बनाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और अन्य** दिनांक 28.07.2023 के मामले में दिया गया है। (प्रति संलग्न)*

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया जाए।

22. प्रेमजी भाई बच्चे भाई खासिया बनाम गुजरात राज्य (सुप्रा) मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर निचली अदालत की निर्भरता तत्काल मामला में सही है और इस प्रकार किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पीडब्लू-3 तत्काल मामले में जांच अधिकारी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि वह पीड़िता की उम्र का सत्यापन नहीं कर सकी और केवल आधार कार्ड पर भरोसा कर सकती थी। इसके अलावा, अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-10 में उसने कहा कि उसे कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। इसके अलावा, घटना स्थल से पीड़िता के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं। पीडब्लू-8, अपीलार्थी/पीड़िता की दादी ने अपनी जिरह के पैरा-3 में कहा है कि अपीलार्थी हर दिन उनकी आंखों के सामने घर में रहती थी। पीडब्लू-9 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-5 में भी यही कहा गया है, इस प्रकार, इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि अपीलार्थी/पीड़िता के परिवार के सदस्यों को कैसे पता नहीं था कि अपीलकर्ता को प्रतिवादी द्वारा नियमित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था।

23. इसके अलावा, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शनी डी-1 के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी के पिता, डीडब्ल्यू-2 और एक देवशरण, जो अपीलार्थी के पिता, पीडब्लू-9 के नियोक्ता थे, के बीच भूमि विवाद था। इस प्रकार, पक्षों के बीच दुश्मनी थी जो कथित अपराध के किए जाने पर काफी संदेह पैदा करती है।

24. एफ.एस.एल. की रिपोर्ट में कहा गया है:

प्रेक्षण:-

1. मानव डी.एन.ए. को क्रमशः ए और बी चिह्नित प्रत्येक प्रदर्शनी के स्रोत से बरामद किया गया है।
2. ए और बी चिह्नित प्रदर्शनों के स्रोत से बरामद डीएनए के पुरुष और महिला मूल को डीवाईएस391, यिंडेल और एमेलोजेनिन मार्कर द्वारा स्थापित किया गया था।

3. उपरोक्त व्यक्तियों के परीक्षण परिणाम के व्यापक विश्लेषण से, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, यह पाया गया है ग्यारह एस. टी. आर. समूह अर्थात्-वी. डब्ल्यू. ए., सी. एस. एफ. 1. पी. ओ., टी. पी. ओ. एक्स., डी8 एस 1179, डी18 एस 51, डी2 एस 441, डी22 एस 1045, डी13 एस 317, डी10 एस 1248, डी12 एस 391 और डीएस 1338-चिह्नित-बी (स्रोत-रामतुल्ला @ अब्दुल्ला का रक्त नमूना) के प्रदर्श के स्रोत में चिह्नित-ए (स्रोत-मोहम्मद सल्लाउद्दीन @ छोटू का रक्त नमूना) के प्रदर्श के स्रोत से उत्पन्न ऑटोसोमल एसटीआर आनुवंशिक प्रोफाइल में मौजूद एलील में से कोई भी नहीं है।

निष्कर्ष:-

अवलोकन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि चिह्नित प्रदर्श का स्रोत- ए (स्रोत- मो. सल्लाउद्दीन उर्फ छोटू का रक्त नमूना) चिह्नित प्रदर्श के स्रोत- बी (स्रोत- रमतुल्ला उर्फ अब्दुल्ला का रक्त नमूना) के जैविक पिता के रूप में बाहर रखा गया है।

25. नंदलाल बासुदेव बदवैक बनाम लता बदवैक (ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 932)

के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

"डीएनए परीक्षण के परिणाम को वैज्ञानिक रूप से सटीक कहा जाता है...न्याय का हित सत्य का पता लगाने से ही पूरा होता है और न्यायालय को सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उसे अनुमानों पर निर्भर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जब तक कि विज्ञान के पास मुद्दे के तथ्यों का कोई उत्तर न हो।"

26. बरी किए जाने के खिलाफ अपील के मामले में, अपीलीय न्यायालय द्वारा लागू किए जाने के लिए आवश्यक सिद्धांत उन सिद्धांतों से काफी अलग हैं जो दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के मामले में लागू होते हैं।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1961 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 40** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि "न्यायालय को न केवल उनके सभी पहलुओं में कानून और तथ्य के प्रश्नों की जांच करनी चाहिए, बल्कि उन कारणों की भी बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए जो निचली अदालतों को अभियुक्त को बरी करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस तरह की जांच के बाद ही हस्तक्षेप करना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष कि व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हुआ है, अनुचित है।"

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस.सी.सी. 415** के मामले में, कई प्राधिकरणों का उल्लेख करने के बाद कहा है कि "एक अपीलीय न्यायालय को, वहन करना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि दोषमुक्त होने के मामले में, उसकी निर्दोषता की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा प्रबलित, पुनः पुष्ट और सुदृढ़ किया जाता है और यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।"

29. **मुरुगेसन बनाम राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 383** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर पहुंचना असंभव न हो और उसके लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री से संबंधित कारण बताए न जाएं, तब तक सीआरपीसी की धारा 378 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है।"

30. **एच. डी. सुंदर बनाम कर्नाटक राज्य (ऊपर)**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत बरी होने के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

"8.1. अभियुक्त के बरी होने से निर्दोष होने की धारणा और मजबूत होती है।

8.2. अपीलीय न्यायालय, बरी किए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की पुनः सराहना करने का हकदार है।

8.3. अपीलीय न्यायालय, साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने के बाद, बरी किए जाने के खिलाफ अपील का निर्णय लेते समय, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था;

8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक और दृष्टिकोण भी संभव था; और

8.5. अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित हो चुका था तथा कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।”

(जोर दिया गया)

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 561 के मामले में प्रासंगिक उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के फैसले को उलटने के लिए अपीलीय अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश का उपयोग निम्नलिखित सिद्धांतों के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए:

(क) कि बरी किए जाने का निर्णय पेटेंट विकृति से ग्रस्त है;

(ख) यह कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य पर विचार करने में चूक/गलत व्याख्या पर आधारित है;

(ग) कि कोई दो उचित राय संभव नहीं हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप राय ही संभव है।

40. यदि अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए इच्छुक है, तो उसे बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए उपरोक्त कारकों पर प्रासंगिक निष्कर्ष दर्ज करने होंगे।”

(जोर दिया गया)

32. अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को देखने पर, यह स्पष्ट है कि घटना के स्थान और पीड़िता की उम्र के संबंध में उनके द्वारा दिए गए बयानों में भौतिक विसंगतियां हैं। इसके अलावा, एफ.एस.एल. प्रयोगशाला के सहायक निदेशक पीडब्लू-10 ने कहा था कि डी.एन.ए. रिपोर्ट में सं. 603 का 2023, दिनांक 30.08.2023 उसके द्वारा तैयार किया गया था और आरोपी मो. सलाउद्दीन उर्फ छोटू बच्चे रामतुल्ला उर्फ अब्दुल्ला का जैविक पिता नहीं है। यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा लगातार लगाए गए इस आरोप के आलोक में महत्वपूर्ण है कि पैदा हुआ बच्चा आरोपी/प्रतिवादी सलाउद्दीन उर्फ छोटू द्वारा पैदा किया गया था और आरोपी ने शुरू से ही इस तथ्य से इनकार किया था। इसके अलावा प्रदर्शनी एक्स के अनुसार "रोगी पर हाल ही में यौन उत्पीड़न का सबूत पाया गया था लेकिन वह 26 सप्ताह की गर्भवती थी।”

33. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उनकी समग्रता में, हमारा यह मानना है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की सराहना करने में कोई गलती नहीं की है। यह बरी करने का मामला है जिसमें आरोपी की निर्दोषता की धारणा को, वास्तव में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। इस न्यायालय के पास यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी-प्रतिवादी सं. 2 प्रश्नगत आरोप का दोषी है।

वास्तव में, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष का मामला विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष सही रूप से विफल रहा है।

34. हमें विचारण न्यायालय के अपेक्षित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। तदनुसार यह अपील खारिज की जाती है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश)

(रमेश चन्द मालवीय, न्यायाधीश)

ब्रजेश कुमार/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।